Journal of Social Issues and Development (JSID)
(Himalayan Ecological Research Institute for Training and Grassroots Enhancement (HERITAGE)
ISSN: 2583-6994 (Vol. 3, Issue 1, January-April, 2025. pp. 206-213)

विकसित भारत–2047 के सतत् विकास में बाल श्रम की समस्या व निदान हेतु उचित उपायों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

रेनू कुमारी[1]
परविन्द्र कुमार[2]

सारांश

प्रस्तुत शोध अध्ययन विकसित भारत–2047 के सतत विकास के लक्ष्य हेतु श्रम में नियोजित बाल श्रमिकों की समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न उपायों की जो अनिवार्यता है, उनको संदर्भित करता है। भारत एक ऐसा देश है, जिसका निर्माण विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति, अहिंसा तथा न्याय के सिद्धांतों के आधार पर सांस्कृतिक विकास तथा स्वतंत्रता संग्राम के समृद्ध इतिहास की एकता के साथ हुआ है। विकसित भारत–2047 का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2027–28 तक देश को दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना तथा वर्ष 2047 तक विकसित देश की श्रेणी प्राप्त करना है। विकसित भारत–2047 के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें तीव्र विकास, डिजिटल इण्डिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इण्डिया, स्वच्छ भारत अभियान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, तकनीकी तथा वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक सुधार, सतत विकास तथा पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक, आर्थिक

[1] (समाजशास्त्र) शोध छात्रा, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, संकाय– समाज विज्ञान, दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग आगरा–282005
[2] (असिस्टेंट प्राफेसर)ए समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, संकाय– समाज विज्ञान, दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग आगरा–282005

विकास, सामाजिक समानता, जीवननिर्वाह में आसानी तथा सुशासन आदि शामिल हैं। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विकसित भारत शिक्षण प्रणाली को प्राथमिकता दी गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक मनुष्य को एक समान विकसित होने व आगे बढ़ने हेतु समावेशी तथा न्यायसंगत शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। भारत को पूर्ण विकसित एवं समृद्धशाली देश के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम देश में बाल श्रम को समाप्त करने की मुख्य आवश्यकता है। सरकार को बाल श्रमिकों के समुचित विकास के लिए पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के सफल प्रयास किए जाने चाहिए। ताकि बच्चे शिक्षित हो और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समावेशी राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें।

मुख्य शब्द– विकसित भारत–2047, लक्ष्य, बाल श्रम, बाल श्रमिक, समस्याएं, उपाय।

प्रस्तावना

विकसित भारत–2047 का उद्देश्य वर्ष 2047 तक सकल घरेलू उत्पादन को 3.4 ट्रिलियन डॉलर से 30 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाना है। देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत, सामाजिक दृष्टि से समावेशी तथा तकनीकी दृष्टि से उन्नत रूप प्रदान करना है। 'विकसित भारत–2047' की औपचारिक शुरूआत एक महत्वपूर्ण परियोजना है। स्वतन्त्र भारत के 100वें वर्ष, अर्थात वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की संभावना बहुत ही मनोरम है। किन्तु देश के विकास में बाल श्रम एक गम्भीर समस्या है, जो देश के उज्ज्वल भविष्य की नींव को कमजोर कर रही है। देश में बाल श्रम की बढ़ती आबादी को देखते हुए यदि विकसित भारत की योजना पर दृष्टि डाली जाए तो यह अनुभव होता है कि क्या विकसित भारत का महत्वकांक्षी लक्ष्य साकार हो सकेगा? वर्तमान भारत में अभी भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, जहां केवल बाल श्रम मौजूद है। यूनिसेफ तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की रोपोर्ट वर्ष 2021 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 5 से 17 आयु के 16 करोड़ श्रमिक बच्चे श्रम करने के लिए मजबूर हैं, जो प्रत्येक 10 बच्चों की संख्या में 1 बच्चा बाल श्रमिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 1.01 करोड़ बाल श्रमिक हैं। जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्य 55 प्रतिशत की भागीदारी बाल श्रम में देते हैं। विभिन्न उद्योगों व व्यवसायों में करोड़ो श्रमिक बच्चे अपना खून–पसीना बहाकर खतरनाक कार्यों को करते हैं। बाल श्रमिक मिट्टी के दीपक, मोमबत्तियां तथा पटाखे बनाकर लागों की दीवाली खुशहाल करते हैं, ढाबों तथा होटलों में बर्तन साफ करते, भवन र्निमाण का कार्य, गैराजों में श्रम, घरेलू नौकर के रूप में श्रम आदि कार्य करते हैं। यदि इसी क्रम में बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती रही तो निश्चय ही बाल श्रमिकों का जीवन अंधकार में विलीन हो जायेगा तथा देश का विकास अवरुद्ध हो जायेगा।

देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए बच्चों को पढ़–लिखकर आगे बढ़कर देश के विकास में योगदान देना है, किन्तु लालची प्रवृत्ति के लोग कानून का उल्लंघन करके बच्चों से श्रम करवाते हैं और उन्हें श्रम के दलदल में धकेल देते हैं और साथ ही देश के उज्ज्वल भविष्य को बिगाड़ देते हैं। 21वीं सदी के आधुनिक भारत में आज बाल श्रमिकों की समस्या अत्यधिक जटिल होती जा रही है।

विकसित भारत–2047 के लक्ष्य हेतु प्रस्ताव

विकसित भारत–2047 के लक्ष्य के विभिन्न प्रस्ताव शामिल हैं जो निम्न प्रकार है–

वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन हेतु सुधार– इसमें हशिए पर जीवननिर्वाह करने वाले समूहों तथा गरीबों के लिए सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं की पहुँच व सामर्थ्य का विस्तार शामिल है। ताकि उनके उपभोग, आय तथा बचत के साथ–साथ उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण सुधार हो सके।

प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना– इसके अन्तर्गत कंपनियों की दक्षता तथा नवाचार को बढ़ाने, उत्पादों तथा सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता में सुधार तथा घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की वृद्धि शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिशीलता में विस्तार हो सकता है, निर्यात में वृद्धि तथा निवेश आकर्षित होने में सहायता मिल सकती है।

संरचनात्मक रूपांतरण– इसके अन्तर्गत निम्न उत्पादन करने वाले क्षेत्रों (जैसे–कृषि), से उच्च उत्पादन करने वाले क्षेत्रों (जैसे– सेवाएं तथा विनिर्माण) की तरफ संसाधनों की सुलभता को दर्शाता है। इससे रोजगार सृजित, आर्थिक विकास में वृद्धि तथा गरीबी की समस्या कम हो सकती है।

श्रम बाजारों का निर्माण– इसके अन्तर्गत श्रमिकों कौशल तथा रोजगार योग्यता में वृद्धि, श्रम आपूर्ति की मात्रा एवं गुणवत्ता में सुधार लाने, निष्पक्ष तथा कुशल श्रम हेतु नियमों को संचालित करना सम्मिलित है। इससे औपचारिकता कम और उत्पादकता में बढ़ावा मिल सकता है तथा सामाजिक सुरक्षा बढ़ सकती है।

शासन सुधार– इसके अन्तर्गत प्रशासन की संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना सम्मिलित है, जैसे– विधि का शासन, पारदर्शिता, भागीदारी तथा जवाबदेही। इससे सेवाओं तथा सार्वजनिक वस्तुओं की वितरण प्रणाली में सुधार संभव हो सकता है, समाज में भ्रष्टाचार कम तथा विश्वास बढ़ सकता है।

हरित क्रांति के अवसरों से लाभांवित होना– इससे जलवायु प्रत्यास्थता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता जैसी हरित प्रौद्योगिकियां तथा अभ्यासों का उपयोग करने तथा उन्हें प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। इससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो सकता है, निम्न पर्यावरणीय क्षति तथा वृद्धि व विकास के नवीन अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।

भारत में बाल श्रमिकों की स्थिति

समकालीन भारत में श्रम में नियोजित बाल श्रमिकों की स्थिति अत्यधिक दयनीय है। बाल श्रमिक निम्न पारिवारिक स्थिति से गुजर रहे हैं। शिक्षा तथा अपने मूलभूत अधिकारों से विमुख हैं। वर्तमान समाज में भारत की कुल श्रमिक शक्ति में 10 प्रतिशत से अधिक बाल श्रमिक मौजूद हैं तथा इनमें से शहरी क्षेत्रों में 85 प्रतिशत बाल श्रमिक श्रम में शामिल हैं। शहरी बाल श्रमिकों में अधिकतर वे बच्चे आते हैं जो गरीबी तथा भुखमरी से पीड़ित मलिन बस्तियों में जीवन यापन करते हैं। बाल श्रम वास्तव में बच्चों के बचपन के साथ किया गया सामाजिक अपराध है। बाल श्रम बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देता है। देश में बाल श्रम के समस्त रूपों को प्रतिबंधत कर दिया है, किन्तु फिर भी देश में करोड़ो बच्चे बाल श्रम में नियोजित हैं। बच्चों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक उन्नति में ही देश की समृद्धि निहित होती है। यदि इन बच्चों को प्यार, दुलार, शिक्षा तथा अधिकारों से वंचित रखकर श्रम में शामिल कर दिया जायेगा तो वे अच्छे नागरिक के गुण प्राप्त करने में असफल होगें। श्रमिक बच्चों के विकास तथा उन्नति पर ध्यान न दिया जाये तो विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता की आशा कैसे की जा सकती है? इसलिए यदि देश को विकसित भारत–2047 के लक्ष्य पर आधारित समाज को र्निमित करने के लिए सर्वप्रथम बाल श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, उसे जड़ से समाप्त करने तथा उनकी स्थिति में सुधार करने के सफल प्रयास करने की आवश्यकता है। ताकि बच्चे देश का भविष्य उज्ज्वल करने में अपनी सहभागिता दे सकें।

अध्ययन का महत्व

भारत वर्ष 2047 तक 'विकसित देश' का दर्जा प्राप्त करने के लिए, अपनी क्षमताओं से लाभांवित होने के लिए प्रभावी रणनीतियों को तैयार कर रहा है। वर्ष 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में वर्ष 2047 तक देश को विकसित देश में रूपांतरित करने के लिए एक महत्वकांक्षी लक्ष्य 'विकसित भारत' की योजना तैयार की। इस मिशन का उद्देश्य देश को तकनीकी, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से समावेशी राष्ट्र बनाना है। प्रस्तुत शोध अध्ययन विकसित भारत–2047 के अनेक पहलुओं पर चर्चा करता है। भारत विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। इस लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए अनेक नीतियां भी संचालित की हैं, लेकिन वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने की रणनीति आसान नहीं है क्योंकि देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है। जिस देश के बच्चे अपने मूलभूत अधिकारों, कर्त्तव्यों और शिक्षा से विमुख होकर बाल श्रम में नियोजित हो, उस देश का भविष्य समृद्धिशाली कैसे हो सकता है। बाल श्रमिकों को श्रम से मुक्त कराना बहुत जरूरी है और उन्हें वे सभी सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है जो उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाल श्रमिकों की समस्या का निदान करना विकसित भारत–2047 के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। प्रस्तुत शोध अध्ययन भारत की प्रगति, जनसांख्यिकीय लाभ तथा सामजिक, आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में

विकसित भारत के उचित अवसरों को खोजता है जो प्रत्येक भारतवासी को जीवनयापन के समान अवसर तथा सुविधाएं प्रदान करे। वस्तुतः विकसित भारत–2047 के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में देश में बाल श्रमिकों की समस्या की जो बाधा है उसे दर्शाने का प्रयास करता है। श्रम रूपी दलदल से बाल श्रमिकों को बचाने हेतु उनकी जो समस्याएं हैं, उनके निवारण हेतु उचित उपायों की जांच करता है, और नीति र्निमाताओं के लिए व्यापक र्मागदर्शन प्रस्तुत करता है, जो विकसित और समृद्ध भारत का र्माग प्रशस्त करता है।

साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन

शोध से संबंधित साहित्य की समीक्षा निम्नलिखित है–

सिंह निषांत (2015) इन्होने अपने अध्ययन में बताया है कि बच्चे देश का भविष्य हैं तथा देश की नींव बच्चों के उचित मार्गदर्शन तथा कल्याण पर टिकी होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश देश में बच्चों की बहुत बड़ी आबादी बाल श्रम की समस्या से ग्रसित है। वास्तव में यह एक सामाजिक समस्या है, जिसके परिणाम नकारात्मक होते हैं। बाल श्रम देश के विकास में बाधा बनकर खड़ा है।

आहूजा, राम, (2019) इन्होने अपने अध्ययन में भारत में बाल श्रम की व्यापकता, बाल श्रम की कार्य प्रकृति, श्रम की हानिकारक स्थितियां, बाल श्रम के कारण तथा बाल श्रमिकों के बढ़ते मामलों में सुधार के प्रयासों का अध्ययन किया है। बाल श्रमिकों को न कोई आश्रय, न भोजन और न ही शिक्षा उपलब्ध होती है। वे अनेक प्रकार के रोगों के संक्रमण से घिरे होते हैं। बाल श्रमिक माता–पिता, नियोक्ताओं यहां तक की आम आदमी के द्वारा भी शोषित किये जाते हैं।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए द्वितीयक स्त्रोतों द्वारा आँकड़ों का संकलन किया गया है। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर ही सम्पूर्ण शोध अध्ययन का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन के उद्देष्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं–

1. विकसित भारत–2047 के लक्ष्य में बाल श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करना।
2. बाल श्रमिकों के सर्वांगीण विकास हेतु उचित उपायों का अध्ययन करना।

1. विकसित भारत–2047 के लक्ष्य में बाल श्रमिकों की समस्या

भारत में बाल श्रम की समस्या के अनेक कारण मौजूद हैं, जिनके कारण बाल श्रमिकों को श्रम में सम्मिलित होना पड़ता है। बाल श्रमिकों की बढ़ती समस्या को बढ़ावा देने वाले कारण निम्न प्रकार हैं–

गरीबी– भारत में गरीबी बाल श्रम के प्रमुख कारणों में से एक है। निम्न पारिवारिक आर्थिक स्थिति के कारण लोगों को अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ण करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप बच्चों को श्रम के लिए विवश होना पड़ता है, जिससे वे परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग कर सकें। प्राकृतिक आपदाएं, अचानक से बीमार होना अथवा अन्य आपात्कालीन परिस्थितियों के कारण भी परिवार की आय कम हो जाती है, इस प्रकार बच्चे श्रम करने हेतु मजबूर किए जाते हैं अथवा मजबूर हो जाते हैं।

अशिक्षा– अशिक्षा भी बाल श्रम का मुख्य कारण है। कई गांव तथा दूरदराज इलाकों में विद्यालयों का अभाव होता है। अशिक्षित माता–पिता बच्चों पर बाल श्रम से संबंधित खतरों तथा नकारात्मक परिणामों से अनभिज्ञ होते हैं। अभिभावक इस सच्चाई से अंजान होते हैं कि बाल श्रम उनके बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। परिणामस्वरूप बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर नहीं मिलते अथवा वे विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। इस प्रकार बच्चों काक मजबूरन श्रम करना पड़ता है।

बेरोजगारी– बेरोजगारी तथा बाल श्रम एक–दूसरे से संबंधित हैं। पारिवारिक बेरोजगारी के कारण बच्चे बाल श्रम में शामिल हो जाते हैं। व्यस्क लोगों की बेरोजगारी बाल श्रम के लिए जिम्मेदार होती है। परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक और कमाने वाले कम। इस प्रकार सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों को श्रम करने के लिए जाना पड़ता है। ताकि अपने साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा सकें।

सामाजिक असमानता– बाल श्रम के प्रमुख कारणों में सामाजिक असमानता भी मुख्य भूमिका निभाती है। जाति, धर्म तथा लिंग आधारित भेदभाव बाल श्रम को गति प्रदान करता है। बाल श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गये हैं उनके सही क्रियांवयन में विफलता तथा साथ ही लोगों में बाल श्रम के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता का अभाव भी बाल श्रम को कायम रखने में मुख्य योगदान देता है।

नियमों की अवहेलना– बाल श्रम को नियन्त्रित करने के लिए समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं, उनकी समाज के लोगों द्वारा अवहेलना की जाती है। यह देश के लिए बहुत ही दुःख की बात है कि वर्तमान समाज में आज भी शिक्षित वर्ग के लोग अपना काम करवाने के लिए श्रमिक बच्चों का प्रयोग करते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि जिस आयु में गरीब बच्चों के हाथों में खिलौने तथा पुस्तकें होनी चाहिए, उस आयु में उनके हाथों में ढाबों तथा होटलों के जूठे बर्तन, घरों व दुकानों में झाड़ू नजर आती हैं। लोग यह कृत्य देखकर संज्ञान में नहीं लेते, बल्कि नजर अंदाज कर देते हैं।

प्रशासनिक ढीलापन– देश में प्रशासन का ढीलापन भी बाल श्रम की समस्या हेतु जिम्मेदार है। गरीब परिवार इस समस्या से सबसे अधिक पीड़ित होते हैं, गरीब बच्चों के लिए शिक्षा ग्रहण करना मात्र एक सपना बनकर रह जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 24

के तहत 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फैक्ट्री अथवा खानों में रोजगार देने पर प्रतिबंध है, किन्तु फिर भी देश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां बाल श्रमिकों से श्रम न करवाया जाता हो।

2. बाल श्रमिकों के सर्वांगीण विकास हेतु उचित उपाय

बाल श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न उपाय निम्न प्रकार हैं–

- बाल श्रमिकों के अभिभावकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि वे गरीबी से विवश होकर अपने बच्चों को श्रम में नियोजित न करें तथा शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेज सकें। यदि अभिभावकों की आय में बढ़ोत्तरी होगी तो बच्चों से श्रम नहीं करवायेगें।
- बाल श्रमिक जो सामान बनाते हैं उनका बहिष्कार किया जाए ताकि बाल श्रमिकों से कार्य करवाने वाले लोग सबक ले तथा अपने दायित्व समझते हुए श्रमिक बच्चों से श्रम न करवायें, फलस्वरूप भारत में निवासित इन बच्चों का बहुमूल्य बचपन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य को हानि न पहुँचे तथा उचित मार्गदर्शन द्वारा सुदृढ़ नागरिक बनकर विकसित भारत–2047 के लक्ष्य में अपना योगदान दे सकें।
- बाल श्रम की समाप्ति हेतु समाज को जागरूक करना बहुत जरूरी हैं। बाल श्रम देश के विकास में अभिशाप बन गया है, क्योंकि श्रम करने से बच्चों का उचित विकास नहीं हो पाता है। बाल श्रम बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण देश के विकसित होने का लक्ष्य अधूरा होता नजर आता है।
- बाल श्रम रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उनका पालन ईमानदारी तथा सख्ती के साथ किया जाए। जो कानून समाज में लागू हैं उनकी कमियों को समाप्त किया जाए। खतरनाक उद्योग–धन्धों में जहां बच्चे श्रम करते हैं वहां श्रमिक बच्चों द्वारा किए गए श्रम को प्रतिबंधित करना चाहिए।
- समाज में जो कानून बने हैं उनसे बाल श्रमिकों की समस्या का हल असंभव है, क्योंकि भारत में जो बाल श्रमिक हैं उनकी 75 से 80 प्रतिशत संख्या अनियन्त्रित है अर्थात बाल श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा तथा लाभ देने के लिए विधिवत उपाय नहीं किए है। प्रमुख आवश्यकता यह है कि जो खतरनाक उद्योग–धंधे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाही की जाए और जो खतरनाक धंधे नहीं हैं उन्हें नियोजित किया जाए।

निष्कर्ष

अतः अन्त में शोध अध्ययन के पश्चात् निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि समकालीन भारतीय समाज के मध्य बाल श्रमिकों की समस्या का निदान भी विकसित

भारत–2047 के लक्ष्यों में से एक हैं। बच्चों को ऐसे परिवेश में रहने की जरूरत है, जहां वे स्वतंत्र तथा गरिमापूर्ण जीवन यापन करने योग्य बन सकें। उनको शिक्षा तथा प्रशिक्षण के उचित अवसर प्रदान किये जाए जिससे वे बड़े होकर जवाबदेह तथा जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने कर्त्तव्यों को भलीभांति निभा सकें। दुर्भाग्यवश भारत में श्रमिक बच्चों की बहुत बड़ी आबादी शिक्षा तथा मूलभूत अधिकारों के लाभ से वंचित है। बाल श्रमिक अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों, मुख्यतः असंगठित क्षेत्र में श्रम करते दिखाई देते हैं। उनमें कुछ बाल श्रमिक ऐसे भी हैं जिनके साथ मार–पीट कर जाती है तथा कैद भी रखा जाता है अथवा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने के मूलभूत अधिकार से विमुख रखा जाता है। इस प्रकार बाल श्रम की समस्या मानव अधिकार एवं विकसित भारत–2047 के लक्ष्य में रुकावट पैदा करती है। यदि सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा का प्रचार–प्रसार, शैक्षिक सुविधाएं तथा शैक्षिक ज्ञान हेतु आकर्षित करने के प्रयास पूर्ण ईमानदारी से किये जाए तो बच्चों के अभिभावक उनकों श्रम में नियोजित न करके शिक्षा प्रदान करायेगें। बच्चों से श्रम कराने का मुख्य कारण अभिभावकों की स्वार्थी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है। जिसके कारण अभिभावक अपने बच्चों को पेटभर भोजन भी नहीं खिला पाते हैं, इसलिये उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उन्हें रोजगार तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। ताकि उनकी गरीबी को नियन्त्रित किया जाए और ऐसा करने से बाल श्रमिकों की संख्या स्वतः ही घटती जायेगी। इस प्रकार भारत प्रमुख विकास के साथ–साथ बाल श्रमिकों के पुनर्वास, कल्याण, तथा सर्वांगीण विकास हेतु समग्र दृष्टिकोण अपनाकर परिपूर्णकारी विकसित राष्ट्र बनने में सफलता प्राप्त कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- सिंह, निशांत, 2015, बाल शोषण तथा बाल श्रम, ओमेगा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
- आहूजा, राम, 2019, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
- कुमारी, शोभा, 2023, भारत में बाल श्रम के कारण एवं दूर करने के उपाय, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी एण्ड ह्यूमनीटीज, पेज–23–25।
- Panchal, Husmukh, 2017, भारत में बाल श्रम की समस्या का अध्ययन, Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects, Volume 11, pp. 430-431.
- https://www.drishtiias.com
- https://www.cheggindia.com
- https://www.jagran.com
- https://dsel.educatoon.gov
- https://www.nextias.com